न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 18/2016

निर्णय दिनांक:– 09/05/2017

1. बद्री पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. मंगल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 भूरा
4. सोनी देवी पत्नि स्व0 भूरा

   समस्त जाति बलाई नि0 फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. मंगला पुत्र स्व0 धन्ना (मृतक)

   5/1. मागीलाल पुत्र मंगला जाति बलाई निवासी फागी जिला जयपुर।

   5/2. सुरज्ञान पुत्री मंगला पत्नि स्व0 पूरण जाति बलाई निवासी खजूरिया तहसील फागी।

   5/3 प्रेम पुत्री मंगला पत्नि रतन जाति बलाई निवासी गरजेडा तहसील मालपुरा जिला टोंक।
6. गोपी पुत्र स्व0 सुजा
7. रामदयाल पुत्र स्व0 सुजा
8. ग्यारसी बेवा स्व0 सुजा
9. तीजा पत्नि स्व0 नाथू

   समस्त जाति बलाई निवासी फागी जिला जयपुर।
10. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।
11. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री विनय जैन प्रार्थी

श्री सुरेन्द्र टेलर वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगा 2

श्री दुर्गालाल मेघवंशी वकील अप्रार्थी सं0 3 लगा 9

–:: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

लगातार.....2

—:: निर्णय ::— दिनांक 09.05.2014

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1432 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है व हिस्सानुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। वाद ग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेनुसार इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बुजुर्ग स्व0 गंगल्या की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। लेकिन पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत 2011 से पूर्व स्व0 गंगल्या का देहान्त हो जाने के कारण एवं उसके पुत्र नानगा के नाबालिक होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 लगायात 9 के पूर्वज एवं उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 व 9 ने राजस्व कार्मियों से साज कर उक्त आराजी सम्पूर्ण का परचा राहिन मुर्तहीन का निम्न प्रकार दर्ज करवा लिया । जो गलत था। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर पूर्व मे गंगल्या का एवं उसके बाद नानगा का एवं वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक सॅम्पति है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी का पर्चा राहिन मुर्तहीन के नाम से जारी कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी के पूर्वज अनपढ व्यक्ति थे न तो वे राजस्व रिकॉर्ड में समझते थे एवं न ही रिकॉर्ड देखने की आवश्कता भी थी क्यो कि कब्जा काश्त प्रार्थी के पूर्वजो का शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। सन 1992 मे हुये राजस्व कैम्प में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 के पूर्वजो ने राजस्व कार्मियों से साज कर उक्त राहिन मुर्तहीन का इन्द्राज हटवा दिया था जिसका ज्ञान होने पर प्रार्थी के पिता नानगा ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वितीय जयपुर जिला जयपुर के यहां प्रस्तुत की जिसमें मान्य न्यायालय अतिरिक्त द्वितीय जयपुर ने प्रार्थी के पिता का हक मानते हुये तहसीलदार द्वारा राहिन मुर्तहीन के इन्द्राज हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया। जो अन्तिम आदेश है जिसके विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 के पूवजो ने नही की। इस आदेश के कुछ समय बाद ही प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण आगे कोई कार्यवाही नही कर सके एवं राजस्व रिकॉर्ड में राहिन मुर्तहीन का इन्द्राज हटा हुआ ही रहा गया। उस समय प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाबालिक थें एवं उन्हे उक्त कार्यावाही का ज्ञान नही होने के कारण उन्होने कोई कार्यवाही नही की। प्रार्थी ने उक्त आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत एवं उपज बना ली है तथा अभी हाल ही

लगातार.....3

जमीनो के भाव बढ जाने एवं आराजी में पैदावार होने से अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 की नियत मे फितुर उत्पन्न हो गया है। इस कारण प्रार्थी को उसके जायज अधिकारों एवं पैतृक सम्पति से महरूम करने की गरज से आराजी स्वंय के नाम होने के कारण आराजी को बैचान कर प्रार्थी को बेदखल करने की फिराक में है। दिनांक 28.02.2014 को जब प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी में खरार कर रहा था तो कुछ अजनबी लोग अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 के साथ आये एवं आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी जब प्रार्थी ने आराजी स्वंय के होने की बात कही तो उसके धमकी दी कि उक्त आराजी हमारे नाम से है। इस आराजी का हम बैचान करेगे। तुम आज के बाद इस आराजी पर पैर नही रखना। जब प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब प्रार्थी को सम्पूर्ण तथ्यों का पता लगा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हक व हिस्सा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने की नियत से उक्त आराजी का बैचान भुमाफिया को करने की धमकी दे रहा है तथा उक्त आराजी का बैचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य में सफल हो गयें जो अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी, व्यर्थ में मुकदमे बाजी बढेगे। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से वकील श्री सुरेन्द्र टेलर ने इकाबालिया जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 की और से वकील श्री दुर्गाला मेंधवंशी ने जबाब पेश किया तथा अपने जबाब के तथ्यो में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये बताया की आराजी ख0न0 1432 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर में होना स्वीकार है उक्त जमीन में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई हिस्सा नही है ना ही उक्त जमीन प्रार्थीगण की पैतृक है वर्णित जमीन की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 के पिता व अप्रार्थी संख्या 4 के पति भूरा एवं अप्रार्थी संख्या 5 स्वंय के नाम व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के पिता व अप्रार्थी संख्या 8 के पति सुजा व अप्रार्थी संख्या 9 की शामलाती सम्पति है और वर्णित जमीन की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 के नाम चली आ रही है। विवादित जमीन प्रार्थी के पूर्वजो के नाम नही रही है ना ही वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त है। विवादग्रस्त आराजी से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। आराजी खसरा नम्बरान भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनके पुर्वजों का कभी कोई हक व हिस्सा नही रहा अपीतु वर्णित खसरा नम्बरान की

लगातार.....4

जमीन अप्रार्थी संख्या 3 व 9 के नाम चली आ रहह है। प्रार्थी बेमानी तथ्यो के आधार पर न्यायालय को गुमराह करते हुये राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नही है। वर्णित आराजी जमीन की जमाबन्दी आज भी अप्रार्थी एव उसके परिवारजन का नाम चला आ रहा है। दिनांक 28.07.2014 की जिस घटना का विवरण प्रार्थी द्वारा किया गया है वह कारित ही नही हुई अपीतु मात्र वाद का आधार बनाने हेतु मनमानी दिनांक का वर्णन किया है और उक्त दिवसको किसी भी प्रकार से वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी आज भी मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 के नाम राज़स्व रिकार्ड में इन्द्राज चली आ रही है। जिससे साफ जाहिर है कि वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन के अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 स्वामी है।

प्रार्थी ने लाल पुत्र नानगा जाति माली, रामलाल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर, जुम्मास्या पुत्र गुलाबस्या जाति मुसलमान, नाथूराम पुत्र रामपाल जाति जाट, लादूराम पुत्र रामदेव जाति गुर्जर, श्योजी पुत्र केसरलाल जाति बारांगाव, जगदीश नारायण शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा जाति बारागांव, हनुमान प्रसाद पुत्र बद्री जाति बारागांव, महेश सोयल पुत्र बाबुलाल जाति खटीक, दामोदर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति खटीक के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में शपथं पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता नें अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1432 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आरांजी है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है वाद ग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेनुसार इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बुजुर्ग स्व0 गंगल्या की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। लेकिन पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत 2011 से पूर्व स्व0 गंगल्या का देहान्त हो जाने के कारण एवं उसके पुत्र नानगा के नाबालिक होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 लगायात 9 के पूर्वज एवं उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 व 9 ने राजस्व कार्मियों से साज कर उक्त आराजी सम्पूर्ण का परचा राहिन मुर्तहीन का निम्न प्रकार दर्ज करवा लिया । जो गलत था। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर पूर्व मे गंगल्या का एवं उसके बाद नानगा का एवं वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपर)

की पैतृक सॅम्पति है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी का पर्चा राहिन मुर्तहीन के नाम से जारी कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी के पूर्वज अनपढ व्यक्ति थे न तो वे राजस्व रिकॉर्ड में समझते थे एवं न ही रिकॉर्ड देखने की आवश्कता भी थी क्यो कि कब्जा काश्त प्रार्थी के पूर्वजो का शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। सन 1992 मे हुये राजस्व कैम्प में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 के पूर्वजो ने राजस्व कार्मियों से साज कर उक्त राहिन मुर्तहीन का इन्द्राज हटवा दिया था। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त जमीन में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई हिस्सा नही है ना ही उक्त जमीन प्रार्थीगण की पैतृक है वर्णित जमीन की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 के पिता व अप्रार्थी संख्या 4 के पति भूरा एवं अप्रार्थी संख्या 5 स्वंय के नाम व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के पिता व अप्रार्थी संख्या 8 के पति सुजा व अप्रार्थी संख्या 9 की शामलाती सम्पति है और वर्णित जमीन की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 के नाम चली आ रही है। विवादित जमीन प्रार्थी के पूर्वजो के नाम नही रही है ना ही वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त है। विवादग्रस्त आराजी से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2068–71 वाके ग्राम फागी उत्तर में भूरा मंगल सुजा पि0 धन्ना व नाथू पि0मु0 काना बलाई दर्ज रिकोर्डड खातेदार काश्तकार है विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त का बिन्दु साक्ष्य सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जावेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा के विचारण में तीन आधारभूत बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति पर सोचना आवश्यक है। वर्तमान में प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार नही है। इसके विपरित भूरा मंगल सुजा पि0 धन्ना व नाथू पि0मु0 काना के वारिसान वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना अवधारित नही किया जा सकता। तथा रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है एंव सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में अधिक प्रबल प्रतीत होते है। अतः दावें के अंतिम निस्तारण तक विवादीत आराजीयात के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत नही होता है। तथा प्रार्थी के अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को सिद्व करने मे पूर्णतयः असफल रहे है। इस लिये प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....6

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

आज दिनांक 09.05.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(सावन कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर